सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ0प्र0–272202
Website : www.suksn.edu.in – Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

पत्रांकः 674/सि0वि0वि0/2026 दिनांक–24/07/2026

सेवा में,

1. अधिष्ठाता छात्र-कल्याण,
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
   सिद्धार्थनगर।
2. प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या,
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
   सिद्धार्थनगर।

विषय– वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025–26 में अन्य पिछडा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी पिछेड़े वर्ग के छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु योजनान्तर्गत आनलाईन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय–सारणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक C–512/पि0व0क0/छा0/समय–सारणी/2026–27, दिनॉक–23.07.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026–27 में अन्य पिछडा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु योजनान्तर्गत आनलाईन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय–सारणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने का निर्देश प्राप्त है।

सूच्य है कि अपने महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों (पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटो की संख्या एवं फीस) का विवरण अंकित करते हुए मास्टर डाटा लॉक करने सम्बन्धी कार्य **महाविद्यालय के अनुमोदित प्राचार्य/कार्यवाहक प्राचार्य अथवा शिक्षक से ही छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के रुप में कार्य** कराना सुनिश्चत करें, किन्तु किसी महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य/कार्यवाहक प्राचार्य अथवा शिक्षक के अलावा किसी अन्य से छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के रुप में कार्य सम्पादित किया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रशासन का होगा।

तद्क्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त जपनदों के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा प्रेषित पत्र की छायाप्रति ।

भवदीय

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर

पत्रांक /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
4. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
6. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

सेवामें,

1. कुल सचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक C-512/पि0व0क0/छा0/समय-सारिणी/2026-27 दिनांक 23 जुलाई, 2026

विषयः-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय-सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-91/2026/1941/26-3-2026-1741061 दिनांक 20 जुलाई, 2026 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु निर्गत समय-सारिणी का प्रचार-प्रसार कराते हुए सुसंगत प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र-2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का निर्धारित समयान्तर्गत कियान्वयन कराने के निर्देश है।

अतएव उपरोक्त समय-सारिणी पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि शासन की मंशा अनुरूप जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं को संसूचित करते हुये विद्यालयी सूचना पट्ट/समाचार पत्रों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये समय-सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत वांछित कार्यवाही पूर्ण करानें का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(राजन)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

पृष्ठाकंन सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः-निम्नवत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, बस्ती मण्डल, बस्ती।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि छात्रहित में उपरोक्त योजना की समय-सारिणी को जनपद सिद्धार्थनगर की बेवसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त समय-सारिणी छात्र/छात्राओं के हित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. प्रधानाचार्य,/प्राचार्य समस्त सम्बन्धित शिक्षण संस्थायें जनपद सिद्धार्थनगर।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

श्री अरुण मिश्रा

कुलसचिव

निःशुल्क प्रकाशनार्थ

प्रेस विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026–27 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत् उ0प्र0 के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु समय–सारिणी निम्नवत है:–

क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की समयावधि (दशमोत्तर छात्रवृत्ति उच्च कक्षाओं हेतु)
1	<u>संस्था स्तर से मास्टर डाटा लॉक करना (कक्षा 11–12 को छोड़कर):–</u> प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थाओ द्वारा मास्टर डाटाबेस मे सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। मास्टर डाटा में प्रदेश की पूर्व से सम्मिलित संस्थाओ द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार कुल सीटो की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, एफिलियेटिंग एजेन्सी का आदि को भरकर डिजिटल सिग्नेचर से प्रमाणित करना।	22 जुलाई, 2026 से 15 अगस्त, 2026 तक।
2	विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा फीस आदि का सत्यापन करना:– विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा फीस आदि का सत्यापन करना विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटो की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन सत्यापित करना।	23 जुलाई, 2026 से 30 अगस्त, 2026 तक।
उच्च कक्षाओ (कक्षा 12 से उच्चतर) दशमोत्तर कक्षाओ में अध्ययनरत नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओ हेतु		
3	छात्रो द्वारा आवेदन पत्र का नवीनीकरण करना तथा हार्डकापी संस्थान में जमा करना।	15 सितम्बर, 2026 से 15 अक्टूबर, 2026 तक।
4	शिक्षण संस्था द्वारा छात्रों का बायोमैट्रिक प्रमाणित करना, प्राप्तांक, पूर्णाक, उपस्थित दर्ज करना एवं अपात्र छात्रो का डाटा निरस्त करके पात्र छात्रो का डाटा आनलाइन सत्यापित कर अग्रसारित करना।	15 सितम्बर, 2026 से 25 अक्टूबर, 2026 तक।
5	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रो का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम को ब्लाक करना।	15 सितम्बर, 2026 से 05 नवम्बर, 2026 तक।
6	<u>त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्र के स्तर से सही करना:–</u> छात्रो द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियो को छात्र लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना तथा छात्रो द्वारा त्रुटियो को छात्र द्वारा ठीक करते हुए पुनः संस्था में आवेदन पत्र का जमा करना त संस्था द्वारा आवेदन पत्र को पुनः अग्रसारित करना।	21 नवम्बर, 2026 से 20 दिसम्बर, 2026 तक।
उच्च कक्षाओ (कक्षा 12 से उच्चतर) दशमोत्तर कक्षाओ में अध्ययनरत नवीन (Fresh) के छात्र/छात्राओं अन्य प्रकिया।		
7	नवीन (Fresh) छात्रो द्वारा रजिस्ट्रेशन/आनलाइन आवेदन करना	15 सितम्बर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक
8	छात्रो द्वारा फाईनल प्रिंट निकालना	16 सितम्बर, 2026 से 02 नवम्बर, 2026 तक

9	हार्ड कापी छात्र/छात्राओ द्वारा वांछित संलग्नको सहित शिक्षण संस्थान में जमा करना।	16 सितम्बर, 2026 से 04 नवम्बर, 2026 तक।
10	शिक्षण संस्थाओं/विद्यालयो द्वारा आवेदन पत्रो को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	16 सितम्बर, 2026 से 10 नवम्बर, 2026 तक।
11	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वास्यविक छात्रो का सत्यापन व अपात्र छात्र,पाठ्यक्रम को ब्लाक करना।	16 सितम्बर, 2026 से 25 नवम्बर, 2026
12	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्र के स्तर से सही करना छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियो को छात्र लॉगिन पर प्रदर्शित 13 किया जाना तथा छात्रो द्वारा त्रुटियो को छात्र द्वारा ठीक करते हुए पुनः संस्था में आवेदन पत्र का जमा करना तथा संस्था द्वारा आवेदन पत्र को पुनः अग्रसारित करना।	06 सितम्बर, 2026 से 31 दिसम्बर, 2026

अतः समस्त सम्बन्धित को अनुस्मारित कराते हुये सूचित किया जाता है कि उपरोक्त समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये शासन की मंशा के अनुरूप समयान्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(राजन)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर

पत्रांक C-511 /पि0व0क0/छात्रवृत्ति/समय–सारिणी/2026–27 दिनांक 23 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. कुल सचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण बस्ती, मण्डल बस्ती।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध सहित कि कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित/संसूचित करने का कष्ट करें।
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
8. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि छात्रहित में इसे समस्त हिन्दी/उर्दू समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि छात्रहित में उक्त विज्ञप्ति को जनपद सिद्धार्थनगर की बेवसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
10. समस्त सम्बन्धित प्राचार्य/प्रधानाचार्य, जनपद अवस्थित शिक्षण संस्थायें जनपद सिद्धार्थनगर।
11. नोटिस बोर्ड कार्यालय/कलेक्ट्रेट/विकास भवन आदि पर चस्पा हेतु।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

संख्या-91 /2026/1941 /26-3-2026-1741061

प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग- 3 लखनऊः दिनांक 20 जुलाई, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- सी-1487 दिनांक 18-07-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर राजकीय, अनुदानित व निजी एवं वाह्य प्रदेशों में संचालित राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय सारिणी जारी की जानी है।

3- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही हैः-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	2	3
	मास्टर डाटा	
1	<u>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना।</u> प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय /	22 जुलाई 2026 से 15 अगस्त 2026 तक

	एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय / शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
2	<u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन</u> प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	23 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक
3	<u>मास्टर डाटा का सत्यापन</u> समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावलियों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदेश के शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करके लाक किया जायेगा। राजकीय / अनुदानित शिक्षण संस्थानों में तथा निजी शिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें सक्षम प्राधिकारी स्तर से शुल्क का निर्धारण किया गया है उन पाठ्यक्रमों की फीस को विश्वविद्यालय द्वारा लाक की गयी सीमा के अधीन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लाक किया जायेगा।	25 जुलाई 2026 से 14 सितम्बर 2026 तक
4	**अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के <u>शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना।</u>** मास्टर डाटा में सम्मिलित व एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।	25 जुलाई 2026 से 14 सितम्बर 2026 तक
उच्च कक्षाओं (कक्षा 12 से उच्चतर) दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीनीकरण (Renewal) के <u>छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन एवं अन्य प्रकिया।</u>		
1	**छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का नवीनीकरण करना तथा हार्डकापी संस्थान में जमा करना।**	15 सितम्बर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक
2	**शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों का बायोमेट्रिक प्रमाणित करना, प्राप्तांक, पूर्णांक, उपस्थिति दर्ज करना एवं अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करके पात्र छात्रों का डाटा आनलाइन सत्यापित कर अग्रसारित करना**	15 सितम्बर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 तक

3	विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	15 सितम्बर 2026 से 5 नवम्बर 2026 तक
4	<u>एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी</u> PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	06 नवम्बर 2026 से 20 नवम्बर 2026 तक
<u>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा (त्रुटिरहित के संबंध में कार्यवाही)</u>		
5	<u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</u> <u>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा के सम्बन्ध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा निर्णय लेते हुए पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।</u>	21 नवम्बर 2026 से 26 नवम्बर 2026 तक
6	<u>मांग सृजन</u> संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा को छोड़ कर अन्य के विषय में जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	27 नवम्बर 2026 से 30 नवम्बर 2026 तक
7	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने की कार्यवाही।	01 दिसम्बर 2026 से 10 दिसम्बर 2026 तक
संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा हेतु कार्यवाही		
8	<u>एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संदेहास्पद /त्रुटिपूर्ण डाटा का वास्तविक डाटा के आधार पर सत्यापन और त्रुटिरहित किए जाने हेतु समयावधि</u>	21 नवम्बर 2026 से 20 दिसम्बर 2026 तक
9	<u>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी</u> <u>सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य ईकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।</u>	21 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक
10	<u>संदेहास्पद डाटा पर वास्तविक सत्यापन के आधार पर त्रुटिरहित डाटा के विषय में जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति एवं निर्णय के क्रम में इस प्रकार विनिश्चित किये गए पात्र डाटा को विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जाना</u>	1 जनवरी 2027 से 10 जनवरी 2027 तक
11	<u>मांग सृजन</u>	11 जनवरी 2027 से 15 जनवरी 2027 तक

	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	
12	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने की कार्यवाही।	16 जनवरी 2027 से 25 जनवरी 2027 तक

उच्च कक्षाओं (कक्षा 12 से उच्चतर) दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीन (Fresh) के छात्र/छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन एवं अन्य प्रकिया।

1	<u>नवीन (Fresh) छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/आनलाइन आवेदन करना</u>	15 सितम्बर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक
2	<u>छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट निकालना</u>	16 सितम्बर 2026 से 2 नवम्बर 2026 तक
3	<u>हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना</u> नवीन (Fresh) छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	16 सितम्बर 2026 से 4 नवम्बर 2026 तक
4	<u>शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना</u> छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना,अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	16 सितम्बर 2026 से 10 नवम्बर 2026 तक
5	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का <u>सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना</u> सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	16 सितम्बर 2026 से 25 नवम्बर 2026 तक
6	<u>एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी</u> PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	26 नवम्बर 2026 से 05 दिसम्बर 2026 तक

संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा (त्रुटिरहित के संबंध में कार्यवाही)

5	<u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</u> <u>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा के सम्बन्ध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा निर्णय लेते हुए पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।</u>	06 दिसम्बर 2026 से 15 दिसम्बर 2026 तक
6	<u>मांग सृजन</u>	16 दिसम्बर 2026 से 20 दिसम्बर 2026 तक

	संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा को छोड़ कर अन्य के विषय में जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	
7	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने की कार्यवाही।	21 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक
एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी में पाए गए संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा हेतु कार्यवाही		
8	<u>संदेहास्पद /त्रुटिपूर्ण डाटा का वास्विक डाटा के आधार पर सत्यापन और त्रुटिरहित किए जाने हेतु समयावधि</u>	6 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर तक
9	<u>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी</u> <u>त्रुटिरहित किये गए सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को सही एवं सत्यापनोपरांत एन0आ ई0सी0 की राज्य ईकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।</u>	01 जनवरी 2027 से 10 जनवरी 2027 तक
10	<u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</u> <u>जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।</u>	11 जनवरी 2027 से 20 जनवरी 2027 तक
11	<u>मांग सृजन</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	21 जनवरी 2027 से 25 जनवरी 2027 तक
12	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर वर्तमान नियमों का पालन करते हुए छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना।	27 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 तक

नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगीः-

1. विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक की कार्यवाही। संस्था, सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी /जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डाटा (कोर्स, फीस व सीट) लॉक होने के उपरांत ही की जायेगी।
2. समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही संस्था द्वारा छात्रों के नवीनीकरण आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्यवाही की जायेगी।

3. उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) का परीक्षाफल न होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जायेगा। उक्त निर्देशों का विचलन किये जाने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

4. नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल, नामांकन संख्या (Enrollment Number) व उपस्थिति को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।

5. संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।

6. **विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लागिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सके।**

7. किसी भी हितधारक के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अग्रसारित किया जायेगा तथा गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा। किसी भी दशा में अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जायेगा। शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर पर आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

8. मण्डल स्तर से छात्र/छात्रों का डाटा ब्लॉक (नवीनीकरण होने पर) करने पर उक्त डाटा को ब्लॉक के साथ मांग (Demand Data) से भी ब्लॉक कर दिया जाए ताकि किसी छात्र/छात्रा का दोहरा भुगतान न होने पाए।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनुराग यादव)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र योजना भवन, लखनऊ।

10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण मिश्र)

विशेष सचिव।

संख्या-92/2026/1940/26-3-2026-1513982

प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग- 3 लखनऊ: दिनांक 20 जुलाई, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1486 दिनांक 18-07-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर (कक्षा 11-12) के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु समय सारिणी शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार समय से छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके, तत्क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) के विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नानुसार समय सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	2	3
	मास्टर डाटा	
1	<u>विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना</u> प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही	22 जुलाई 2026 से 05 अगस्त 2026 तक

	किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, तदोपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके प्रमाणित करना।	
2	<u>जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन</u> सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटों की संख्या एवं प्रोफाइल को आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना।	23 जुलाई 2026 से 09 अगस्त 2026 तक
3	<u>अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के विद्यालयों की मार्किंग किया जाना</u> मास्टर डाटा में सम्मिलित व एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के विद्यालयों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।	23 जुलाई 2026 से 10 अगस्त 2026 तक
पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षा (9-12)के अन्तर्गत नवीनीकरण (Renewal) कक्षा (10 व 12) के छात्र/छात्राओं हेतु <u>आनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया</u>		
1	<u>छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का नवीनीकरण करना तथा हार्डकापी संस्थान में जमा करना।</u>	11 अगस्त 2026 से 25 अगस्त 2026 तक
2	<u>विद्यालय द्वारा छात्रों का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण करना, प्राप्तांक, पूर्णांक, उपस्थिति दर्ज करना एवं अपात्र छात्रों काडाटा निरस्त करके पात्र छात्रों आनलाइन सत्यापित अग्रसारित करना</u> शैक्षणिक संस्थान के स्तर पर छात्र/ छात्राओं का प्राप्तांक, पूर्णांक, उपस्थिति दर्ज करके पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना तथा अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करना।	11 अगस्त 2026 से 30 अगस्त 2026 तक
3	<u>जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना</u> सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-12 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	31 अगस्त 2026 से 10 सितम्बर 2026 तक
4	<u>एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी</u>	11 सितम्बर 2026 से 17 सितम्बर 2026 तक

	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर प्रेषित करना।	
संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा (त्रुटिरहित के संबंध में कार्यवाही)		
5	<u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</u> संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा के सम्बन्ध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा निर्णय लेते हुए पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	18 सितम्बर 2026 से 22 सितम्बर 2026 तक
6	<u>मांग सृजन</u> <u>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा को छोड़ कर अन्य के विषय में</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	23 सितम्बर 2026 से 28 सितम्बर 2026 तक
7	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना।	29 सितम्बर 2026 से 5 अक्टूबर 2026 तक
एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी में पाए गए संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा हेतु कार्यवाही		
8	एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संदेहास्पद /त्रुटिपूर्ण डाटा का वास्तविक डाटा के आधार पर सत्यापन और त्रुटिरहित किए जाने हेतु समयावधि	17 सितम्बर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 तक
9	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य ईकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।	10 अक्टूबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक
10	संदेहास्पद डाटा पर वास्तविक सत्यापन के आधार पर त्रुटिरहित डाटा के विषय में जनपद स्तरीय समिति कि संस्तुति एवं निर्णय के क्रम में इस प्रकार विनिश्चित किये गए पात्र डाटा को विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जाना	16 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक
11	संदेहास्पद डाटा पर वास्तविक सत्यापन के उपरांत जनपद स्तरीय समिति कि संस्तुति एवं निर्णय के क्रम में लॉक डाटा के विषयगत मांग सृजन	21 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 तक

12	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना।	25 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक
	पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षा (9-12) के छात्र/छात्राओं के नवीन (Fresh) (कक्षा **9** व **11**) **हेतु आनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया**	
1	नवीन (Fresh) छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/आनलाइन आवेदन करना	**11 अगस्त 2026 से 21 सितम्बर 2026 तक**
2	छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट निकालना	30 सितम्बर 2026 तक
3	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना नवीन (Fresh) छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	**12 अगस्त 2026 से 5 अक्टूबर 2026 तक**
4	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्नक अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित, बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण कर अग्रसारित करना।	**13 अगस्त 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक**
5	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-12 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	16 अक्टूबर 2026 से 05 नवम्बर 2026 तक
6	एन0 आई0 सी0 द्वारा स्क्रूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न	06 नवम्बर 2026 से 15 नवम्बर 2026 तक

	बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा जनपदीय लागिन पर प्रेषित करना।	
7	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित एन0आई0सी0 द्वारा प्रदर्शित किया जाना।	16 नवम्बर 2026 से 20 नवम्बर 2026 तक
8	सन्देहास्पद डाटा का वास्तविक अभिलेखीय साक्ष्य से मिलान और सत्यापन।	विलम्बतम 14 दिसम्बर 2026 तक
10	**<u>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी</u>** सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य ईकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।	15 दिसम्बर 2026 से 21 दिसम्बर 2026 तक
11	**<u>जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध एवं सस्पेक्ट डाटा लॉक करना</u>** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	16 नवम्बर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक
12	**<u>मांग सृजन</u>** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	16 जनवरी 2027 से 24 जनवरी 2027 तक
13	**<u>धनराशि का अन्तरण</u>** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना।	25 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 तक

1- कक्षा 10 में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्रों हेतु संस्था स्तर से केवल कक्षा 10 में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा 09 का परीक्षाफल अंकित करते हुये आवेदन आनलाइन अग्रसारण किया जायेगा।

2- कक्षा 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्रों हेतु संस्था स्तर से केवल कक्षा 12 में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा 11 का परीक्षाफल अंकित करते हुये आवेदन आनलाइन अग्रसारण किया जायेगा।

3- शैक्षणिक संस्थान के स्तर पर नवीनीकरण छात्र का प्राप्तांक, पूर्णांक तथा कक्षा मे उपस्थिति का विवरण भरा जायेगा एवं अपात्र छात्र को हटाया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा

अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनुराग यादव)
प्रमुख सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र योजना भवन, लखनऊ।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव